भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2383

मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-कॉमर्स भुगतान

2383. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या देश में हाल ही में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ई-कॉमर्स भुगतानों के लिए वैकल्पिक भुगतान हिस्सेदारी में सबसे तेज उछाल देखा गया है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): इस संबंध में कोई केंद्रीकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले पांच वित्त वर्षों के डिजिटल भुगतान संबंधी लेन-देन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	डिजिटल भुगतान संबंधी लेन-देन	
	मात्रा (करोड़ में)	मूल्य (लाख करोड़ में)
2019-20	3401.55	1619.69
2020-21	4370.68	1414.58
2021-22	7197.68	1744.01
2022-23	11393.82	2086.85
2023-24	16443.02	2428.24

संदाय और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम की धारा 10 (क) के अंतर्गत यह अधिदेश है कि आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) की धारा 269-एसयू के तहत निर्धारित किए गए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए कोई भुगतान करने या प्राप्त करने पर, कोई बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई को भुगतान के निर्धारित मोड के रूप में अधिसूचित किया है।

विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र में नियोजित लोगों के बीच डिजिटल भुगतान को और अधिक प्रोत्साहित करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार, 1 अप्रैल, 2017 से पर्सन टू मर्चेंट (पी2एम) को भुगतान के मामले में रूपे डेबिट कार्ड से लेन-देन तथा निम्न मूल्य के भीम-यूपीआई लेने-देन (2000/-रु तक) के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भुगतान करके बैकों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। यह प्रोत्साहन बैंकों को प्रोत्साहित करता है ताकि वे व्यापारियों द्वारा रूपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकार करने तथा उसका उपयोग करने को बढ़ावा दे सकें।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016 में यूपीआई की शुरुआत के बाद से नेशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) (जो यूपीआई भुगतान प्रणाली को संचालित करता है) द्वारा विभिन्न उपयोगकर्ता वर्गों के बीच यूपीआई के दायरे और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कई सुविधाएं शामिल की गई हैं, जैसे: क) फीचर फोन यूजर हेतु यूपीआई (यूपीआई123पे), ख) कम मूल्य के लेन-देन हेतु यूपीआई लाइट एक्स, ग) यूपीआई केडिट कार्ड्स को लिंक करना, घ) सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट के साथ मैन्डेट को प्रोसेस करना (ऑटोपे), ङ) आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की सुविधा प्रदान करना ताकि विभिन्न उपयोगकर्ता वर्गों के बीच यूपीआई के दायरे और उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सके।

इन पहलों का उद्देश्य नकदी पर निर्भरता को कम करना, डिजिटल भुगतान को और अधिक सुविधाजनक बनाना तथा अधिक डिजिटल समावेशी अर्थव्यस्था की ओर अग्रसर होने में सहायता प्रदान करना है।
